सत्यमेव जयते

विकास आयुक्त का कार्यालय,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096

फा.सं.सीप्ज़-सेज़/सीमाशुल्क/पीएन/47/2018-19/

दिनांकः 05.12.2018

सार्वजनिक सूचना संख्या 51/2018

विषयः- सेज़ यूनिटों द्वारा स्क्रैप, अवशेष धूलि, संकटपूर्ण अपशिष्ट / बैटरियों, सेप्टिक टैंक अपशिष्ट तथा ई-अपशिष्ट वस्तुओं के डीटीए - सेज़ में हटाए जाने के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया ।

कुछ यूनिटों द्वारा स्क्रैप के वज़न के संबंध में गलत घोषणा किए जाने की घटनाओं के मद्देनज़र यह आवश्यक हो गया है कि सीप्ज़-सेज़ परिसर के अंदर तुलन सुविधा के न होने के कारण मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा की जाए । अतएव, सभी संबंधितों द्वारा डीटीए में उपर्युक्त वस्तुओं को ले जाए जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएः-

1) **स्क्रैप वस्तुएंः-** घरेलू टैरिफ क्षेत्र में यूनिटों के स्क्रैप को ले जाए जाने के संबंध में सेज़ नियमावली, 2006 के नियम 47(1) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है । फा.सं.एस/1/मिस-19/2012-13-सीप्ज़-सेज़ दिनांक 17.12.12 के अंतर्गत जारी मौजूदा अनुदेशों के अनुसार वर्तमान में यूनिटों द्वारा घोषित वज़न के आधार पर परिकलित शुल्क का भुगतान करने पर स्क्रैप के निकासी की अनुमति दी जाती है । सभी संबंधितों द्वारा भविष्य में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः-

क) स्क्रैप के निपटान करने के इच्छुक यूनिट विनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन देंगे जिसकी प्रतिलिपि संपदा प्रबंधक को भी देनी होगी जो इस कार्य के लिए अभीक्षक तैनात करेंगे तथा उक्त आवेदन में स्क्रैप की मदवार मात्रा तथा सीप्ज़ के साथ नामिकागत विक्रेता का विवरण भी देना होगा तथा घोषित स्क्रैप पर लागू अंनतिम शुल्क का भी भुगतान करना होगा ।

ख) निपटान किया जाने वाला स्क्रैप यूनिट परिसर में निर्धारित स्थान पर निरीक्षण के लिए रखा जाएगा । उक्त स्क्रैप की खेप का निरीक्षण वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकार द्वारा यूनिट के प्रतिनिधि तथा नामिकागत विक्रेता की उपस्थिति में किया जाएगा । यूनिट को निरीक्षित स्क्रैप का निपटान घोषित मात्रा पर अनंतिम शुल्क का भुगतान करके उसी दिन अथवा निरीक्षण के अगले कार्य दिवस के अंदर करना होगा । यूनिट / विक्रेता को खाली भार की पर्ची के साथ यूनिट के लदान क्षेत्र में खाली ट्रक लेकर आना होगा । आगे, यूनिट को स्क्रैप मदों का उचित विवरण देना होगा जिसका सत्यापन संबंधित प्राधिकृत अधिकारी / वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा वे इस पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेंगे । यूनिट परिसर के अंदर परिमाणित की जाने वाली स्क्रैप मदों का प्राधिकृत अधिकारी / वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी की निगरानी में वज़न कराया जाएगा । बची हुई स्क्रैप की मदें जिनका तुलन सीमा के कारण वज़न न किया जा सके अथवा जो विषम आयाम की हों, उन्हें वज़न की गई मदों के साथ उक्त वाहन में ही रखा जाएगा । लदान की प्रक्रिया प्राधिकृत अधिकारी की सामान्य निगरानी तथा यूनिट के प्रतिनिधि, यूनिट के साथ नामिकागत विक्रेता तथा अभीक्षक की उपस्थिति में पूरी की जाएगी । संपदा प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत अभीक्षक इस मौके पर उपस्थित रहेगा तथा वाहन की संपूर्ण लदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाएगा ।

ग) लदे हुए ट्रक को तुलन के लिए निवारक अनुरक्षण के तहत प्राधिकृत अधिकारी तथा अभीक्षक द्वार सीप्ज़-सेज़ के बाहर (जब तक की सीप्ज़-सेज़ के अंदर तुला चौकी संस्थापित नहीं की जाती है) निकटतम तुला चौकी तक ले जाया जाएगा । तुलन के पश्चात लदे हुए ट्रक को रिलीज़ कर दिया जाएगा । तुलन पर्ची के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी सभी स्क्रैप की मदों के वज़न का उल्लेख करेगा जिसके आधार पर वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी अंतिम शुल्क का परिकलन करेगा ।

घ) यूनिट को अंतिम शुल्क की सूचना दिए जाने की तारीख से 03 कार्य दिवसों के अंदर विभेदक शुल्क का भुगतान करना होगा ।

2. **अवशेष धूलिः-** विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त अवशेष धूलि में से सोना तथा चांदी के कणों पर लागू दर से शुल्क का भुगतान किया जाना आवश्यक होता है जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

इस आशय का भी वचन देगा कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई से परीक्षण रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात विभेदक शुल्क, यदि कोई हो का भी भुगतान करेगा ।

ख) घोषित अंश के आधार पर अनंतिम शुल्क का परिकलन किया जाएगा । यूनिट द्वारा अनंतिम शुल्क का भुगतान किए जाने के पश्चात यूनिट परिसर के अंदर प्रश्नगत अवशेष धूलि का वज़न कराया जाएगा । उक्त धूलि के सजातीय मिश्रण में से 1-1 केजी के तीन प्रतिनिधि नमूने लिए जाएंगे । इन नमूनों को सीलबंद किया जाएगा तथा इस पर सीमाशुल्क का पंच सील लगाया जाएगा तथा यूनिट के प्रतिनिधि, प्राधिकृत अधिकारी तथा वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इन्हें पृष्ठांकित किया जाएगा ।

ग) अवशेष धूलि के तुलन तथा नमूना चयन किए जाने के पश्चात इनका वाहन पर लदान किया जाएगा । इन नमूनों को सीलबंद किया जाएगा तथा इन पर सीमाशुल्क के पंच सील लगाए जाएंगे । यह पूरी प्रक्रिया सीमाशुल्क की निगरानी, यूनिट के प्रतिनिधि, नामिकागत विक्रेता, संपदा प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत अभीक्षक की उपस्थिति में संपन्न होगी । अभीक्षक इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेगा ।

घ) यदि यूनिट परिसर के अंदर धूलि का तुलन संभव न हो, तो ऐसी स्थिति में अवशेष धूलि की पूरी मात्रा का लदान वाहन पर किया जाएगा तथा जिसे निवारक अनुरक्षण तथा अभीक्षक की देखरेख में निकटतम तुला चौकी पर ले जाया जाएगा । लदे हुए वाहन को तुलन के पश्चात रिलीज़ कर दिया जाएगा । लदान के पूर्व यूनिट को वाहन के खाली भार होने की रसीद प्रस्तुत करनी होगी । तीन मुहरबंद नमूनों में से एक नमूना सरकारी टकसाल (भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई) को परखने तथा उक्त अवशेष धूलि में सोने तथा चांदी के अंशों का निर्धारण करने के लिए भेजा जाएगा । टकसाल से परख रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अंतिम शुल्क का परिकलन किया जाएगा तथा यूनिट को सूचना दिए जाने की तारीख से 03 कार्य दिवसों के अंदर विभेदक शुल्क का भुगतान करना होगा ।

3. <u>**सेप्टिक टैंक अपशिष्ट (यूनिट परिसर) -**</u> सेप्टिक टैंक अपशिष्ट के हटाने पर लागू शुल्क के भुगतान के लिए इसके सोना तथा चांदी अंशों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है । सैप्टिक / गटर टैंक अपशिष्ट आर्द्र अवस्था में होते हैं । सुखाने के प्रयोजन से (भट्टी में / प्राकृतिक मौसम की स्थिति में) नमूने आर्द्र अवस्था में लिए जाएंगे जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः-

क) यूनिट विनिर्दिष्ट अधिकारी को पत्र देगा जिसमें गटर / सेप्टिक टैंक अपशिष्ट के निपटान के लिए सीप्ज़ / एमपीसीबी / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित नामिकागत विक्रेता से संबंधित विवरण भी दिए गए होंगे तथा इसके साथ यह वचन भी दिया गया होगा कि टकसाल से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यदि कोई अंतिम शुल्क हो, तो उसका भी भुगतान किया जाएगा । यूनिट को घोषित अंशों पर अनंतिम शुल्क का भुगतान करना होगा ।

ख) अनंतिम शुल्क का भुगतान किए जाने के पश्चात यूनिट के अनुरोध पर निर्दिष्ट तारीख / दिवस को खाली भार की रसीद प्रस्तुत किए जाने के पश्चात खाली वाहन को लदान के प्रयोजन के लिए अंदर आने की अनुमति दी जाएगी । तत्पश्चात संबंधित सेप्टिक टैंक अपशिष्ट के 03 प्रतिनिधि नमूने सूखी अवस्था में प्रक्रिया के अनुसार टकसाल को परखने तथा अपशिष्ट के शुद्ध वज़न का अनुपात निर्धारित करने के लिए भेजे जाएंगे ।

घ) यह पूरी प्रक्रिया सीमाशुल्क की निगरानी में, यूनिट के प्रतिनिधि तथा नामिकागत विक्रेता की उपस्थिति में संपन्न की जाएगी तथा अभीक्षक इस पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी करेगा । आर्द्र पंक से लदे हुए वाहन को निवारक अनुरक्षण के तहत तथा अभीक्षक द्वारा तुलन के लिए तुला चौकी ले जाया जाएगा । तुलन के पश्चात लदे हुए वाहन को रिलीज़ कर दिया जाएगा ।

ग) टकसाल की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रक्रिया के अनुसार अंतिम शुल्क का परिकलन किया जाएगा तथा यूनिट से विभेदक शुल्क यदि कोई हो, तो उसका भुगतान करने के लिए कहा जाएगा । विभेदक शुल्क का भुगतान सूचना दिए जाने की तारीख से 03 कार्य दिवसों के अंदर करना होगा ।

4. <u>ई-अपशिष्ट मदें तथा बैटरियां:-</u> अभी तक दिनांक 09.6.2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 30/2016 के अनुसार ई-अपशिष्टों का निपटान किया जा रहा है । उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में यथानिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भविष्य में बैटरियों तथा ई-अपशिष्टों का निपटान किया जाएगा ।

<u>5. अन्य संकटपूर्ण अपशिष्टः-</u> सेज़ नियमावली, 2006 के नियम 39 के उपबंधों के अनुसार ऐसी वस्तुओं का निपटान किया जा रहा है ।

क. यूनिट संकटपूर्ण अपशिष्ट के निपटान के लिए सीप्ज़ / एमपीसीबी / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित नामिकागत विक्रेता से संबंधित विवरण / दस्तावेज़ों के साथ विनिर्दिष्ट अधिकारी को पत्र देगा जिसके साथ यह वचन देगा कि वह लागू शुल्क यदि कोई हो, का भुगतान करेगा ।

ख. यूनिट नाशन प्रयोजन के लिए इस प्रकार एकत्र किए गए अपशिष्टों की सूची तथा फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करेगा । यदि उसने इन सामग्रियों पर निर्यात-लाभ लिया हो, तो उसको भी लौटाएगा । यूनिट के आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी तथा यदि शुल्क लागू हो, तो उसका उसे तदनुसार भुगतान करना होगा । यदि, भूमि भराव आदि के द्वारा नाशन / निपटान किया जाएगा जहां ऐसे निपटान के द्वारा इसका कोई अंश प्राप्त न किया जा सके तथा उसका दुबारा उपयोग न किया जा सके, ऐसी स्थिति में सेज़ नियमावली, 2006 के नियम 39 के उपबंधों का अनुपालन किए जाने के अधीन बिना शुल्क की अदायगी के इसके लिए अनुमति दी जाएगी ।

ग. यूनिट को ऐसे अपशिष्टों का निरीक्षण करने के लिए तारीख तथा समय की सूचना देनी होगी । वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे अपशिष्टों का निरीक्षण किए जाने के पश्चात नामिकागत विक्रेता के निर्दिष्ट वाहन पर इनको लादा जाएगा । लदान प्रक्रिया प्राधिकृत अधिकारी तथा अभीक्षक की निगरानी में कराई जाएगी तथा इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी । लदान के पश्चात वाहन को डीटीए में आगे के परिवहन तथा निपटान के लिए पंच सीलबंद किया जाएगा । एमओटी के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी की निगरानी में संकटपूर्ण अपशिष्ट का निपटान किया जाएगा ।

घ. सीमाशुल्क प्रक्रिया के पूरा किए जाने के पश्चात अपशिष्ट को नाशन प्रयोजन के लिए रखा जाएगा । यूनिट तथा नामिकागत विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन अपने गंतव्य तक बिना किसी बाधा के पहुंचे तथा नाशन की प्रक्रिया पूरी हो । संकटपूर्ण अपशिष्ट के नाशन के संबंध में यूनिट को डीटीए में माल के निपटान की तारीख से 90 दिनों के अंदर तोड़क / पुनः चक्रक का उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

6. **पूंजीगत माल का निपटानः-** पूंजीगत मालों के निपटान के लिए अलग प्रक्रिया अधिसूचित की जाएगी क्योंकि यह मामला अभी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन है ।

7. **अनिवार्य अनुपालनः-**

1) यूनिट का यह दायित्व है कि वह सेज़ नियमावली, 2006 के नियम 75 के अनुसार वज़न / विवरण की घोषणा करे, सीमांकित क्षेत्र में स्क्रैप वस्तुओं को अलग-अलग रखा जाए, केवल निरीक्षित वस्तुओं का लदान किया जाए । यूनिट प्राधिकृत अधिकारी तथा अभीक्षक को वाहन उपलब्ध कराए ताकि वे लदे हुए वाहन का अनुरक्षण तथा तुलन करवा सकें ।

2) यूनिट सीप्ज़ प्राधिकारियों द्वारा नामिकागत विक्रेताओं का ही चयन करे । सीप्ज़ का संपदा अनुभाग समय-समय पर विक्रेताओं की नामिका तैयार करेगा तथा उनकी सूची जारी करेगा जो सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा । यूनिट चयनित विक्रेता को गेट पास जारी करेगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि निकास गेटों पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को गेट पास सरेंडर किए जाएं । यूनिट द्वारा नामोदिष्ट ऐसे प्राधिकृत विक्रेताओं का सीप्ज़ सेवा केंद्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा वे केवल संबंधित प्राधिकारियों से ही संपर्क कर सकते हैं, किसी अन्य कर्मचारी से नहीं । इसके उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा यूनिट को पहली बार की ऐसी चूक के लिए 10,000/- रूपए, दूसरी बार की ऐसी चूक के लिए 15,000/- रूपए तथा तीसरी बार की ऐसी चूक के लिए 20,000/- रूपए का अर्थदंड देना होगा । इसके पश्चात ऐसी चूकों के लिए सीप्ज़ प्राधिकरण को चूककर्ता यूनिट के विरूद्ध किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई करने का भी विवेकाधीकार होगा ।

3) वाहन के निरीक्षण, तुलन तथा लदान की पूरी प्रक्रिया के दौरान यूनिट के नामित प्रतिनिधि तथा चयनित नामिकागत विक्रेता उपस्थित रहेंगे ।

4) यूनिट परिसर के अंदर परिमाणित किए जाने वाले मालों का वज़न प्राधिकृत अधिकारी / वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी की निगरानी में लिया जाएगा । बची हुई स्क्रैप की मदें जिनका तुलन सीमा के कारण वज़न न किया जा सके अथवा जो विषम आयाम की हों, उनका निवारक अनुरक्षण तथा अभीक्षक के अधीन डीटीए में वज़न किया जाएगा ।

5) संपदा प्रबंधक द्वारा नामित सीप्ज़ अभीक्षक संपूर्ण लदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेगा तथा संबंधित प्राधिकृत अधिकारी की सामान्य निगरानी में लदान करवाया जाएगा ।

में विनिर्दिष्ट अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

7) विनिर्दिष्ट अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी तथा वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी गेट पास जो यूनिट के प्राधिकृत प्रतिनिधि, नामिकागत विक्रेता तथा लदान प्रक्रिया की निगरानी करने वाले अभीक्षक द्वारा पृष्ठांकित किया गया हो, के अधीन मालों के तुलन अथवा अंतिम निकासी की अनुमति दी जाएगी ।

8) यूनिट को सूचना दिए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के अंदर विभेदक शुल्क का भुगतान करना होगा ।

9) स्क्रैप का पैकिंग सामग्रियों आदि पर आइजीएसटी / सीमाशुल्क का भुगतान करना होता है, अतः यूनिट का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी सामग्रियां सामान्य कूड़ेदान (कुंडी) में फेंक कर निपटान न किया जाए । इस प्रकार की भूल-चूक के लिए यूनिट जिम्मेदार होगा ।

10) स्क्रैप / धूलि / ई-अपशिष्ट आदि के निपटान की प्रक्रिया अनंतिम शुल्क के भुगतान की तारीख से तीन कार्य दिवसों के अंदर पूरी की जाएगी जब तक कि इस संबंध में किसी स्पष्टीकरण का अनुपालन किया जाना आवश्यक न हो ।

11) निष्पादित बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध (बीएलयूटी) के अनुसार किसी भी यूनिट तथा संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों से उपर्युक्त प्रक्रियाओं के संबंध में हुई चूक को गंभीरता से लिया जाएगा ।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(आशीष मिश्र)
विनिर्दिष्ट अधिकारी

प्रतिः-

1. संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़, मुंबई
2. उप विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़, मुंबई
3. सभी वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी, सीप्ज़-सेज़, मुंबई
4. सभी सहायक विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़, मुंबई
5. संपदा अनुभाग, सीप्ज़-सेज़, मुंबई
6. सभी सीप्ज़-सेज़ यूनिटों को ई-मेल द्वारा
7. आइटी अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
SEEPZ-SEZ, ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 096.

F.No. Seepz-Sez/Customs/PN/47/2018-19 Dated 05.12.2018

Public Notice No. 51/2018

Subject: Standard Operating Procedure on *"Removal of Scrap, Residual Dust, Hazardous Waste/Batteries, Septic Tank Waste and E-waste items by SEZ* Units *into DTA – SEZ"*- regarding-

In view of recent observations with regard to mis-declaration of weight of the scrap by some units, it has become necessary to review the procedure considering the non availability of weighment facility within the SEEPZ-SEZ premises. Henceforth the following procedure will be followed by all concerned for removal of subject goods in DTA.

1) Scrap items: - The removal of scrap of the unit in Domestic Tariff Area is covered under Rule 47(1) of the SEZ Rules 2006. As per prevailing practice the scrap is cleared on payment of duty calculated based on the weight declared by the unit in accordance with existing Instruction issued vide F.No. S/1-Misc-19/2012-13-Seepz-Sez dated 17.12.12. The following procedure will be adopted by all concerned henceforth:

a) The Unit intending to clear the scrap shall submit an application to the Specified Officer and copy to Estate Manager (for deputing a caretaker) item wise quantity of the scrap and details of the vendor empanelled with SEEPZ and pay the provisional applicable duty on declared scrap.

b) The scrap meant for removal will be placed at a demarcated area in the unit's premises for inspection. Inspection of the said scrap lot will be carried out by Sr.AO and AO in presence of Unit's representative & empanelled vendor. Unit will have to remove the inspected scrap on the same or next working day of inspection on payment of provisional duty on declared quantity. Unit/vendor will bring the empty truck with the slip of tare weight in the loading area of the unit. Further, proper description of the scrap items will be given by the unit and verified by concerned AO/Sr.AO and counter signed. The scrap items which can be quantified within the unit's premises will be weighed under the supervision of the AO/Sr.AO. The remaining scrap items which could not be weighed due to the weight limits or odd/large dimensions will be loaded in the said vehicle along with the weighed items. The process of loading will be carried out under general supervision of authorized officer and in presence of unit's representative, vendor empanelled with SEEPZ and the caretaker. The caretaker authorized by Estate Manager will be present and carry out videography of the entire loading process of the vehicle.

c) The loaded truck will then be taken to the nearest weigh bridge outside SEEPZ-SEZ (till a weigh bridge is installed within SEEPZ-SEZ) under Preventive escort by AO and caretaker for weighment purpose. After the weighment the loaded truck will be released. Based on weighment slips, the AO will mention the description wise weight of all scrap items and final duty will be calculated by Sr.AO accordingly.

e) The Unit will have to pay the differential duty within 3 working days from the date of intimation of final duty.

2. **Residual Dust:-** On removal of residual dust, derived during the manufacturing process, the contents of gold and silver therein is required to be ascertained for payment of applicable duty. The following process will be adopted:-

a) The Unit will submit the request letter to the Specified Officer for removal of residual dust declaring the contents of Gold and silver therein along with details of the vendor empanelled

with SEEPZ. Unit will also submit an undertaking to pay the differential duty, if any, after receipt of test report from RBI-Mumbai.

b) Based on the declared content, provisional duty will be calculated. After payment of provisional duty by the unit, the subject residual dust will be weighed within the Unit premises and three representative samples of 1 kg each will be withdrawn from the homogenous mixture of the said dust. These samples will be sealed with customs punch seal and same will be endorsed by the unit's representative, AO and Sr.AO.

c) After weighment and sampling the residual dust will be loaded in the vehicle which will be sealed with Customs P/seal. The entire process will be carried Out under Customs supervision, in presence of unit's representative, vendor empanelled and the caretaker Authorised by Estate Manager to carry out the videography of above process.

d) If the weighment of the dust is not possible within the unit's premises, in such a case post withdrawal of sample, the entire quantity of residual dust will be loaded on the vehicle which will be taken to the nearest weigh bridge under preventive escort and caretaker and after its weighment the loaded vehicle will be released. Prior to loading, unit will produce the empty weight receipt of the vehicle.

e) Of the three sealed samples, one sample will be forwarded to Govt. MINT (RBI-Mumbai) for assaying and ascertaining the gold and silver contents in the said residual dust. On receipt of assaying report from MINT, the final duty will be calculated and the Unit will have to pay the differential duty within 3 working days from the date of communication.

3. Septic Tank waste (Unit premises) - On removal of Septic tank waste, the contents of gold and silver therein is required to be ascertained for payment of applicable duty. The septic / gutter tank waste is in wet condition. Samples in wet condition will be drawn for drying purpose (either in furnace / natural weather conditions). The following process will be adopted:-

a) Unit will submit a letter to Specified Officer along with the details of empanelled vendor approved by Seepz/MPCB/State Pollution Control board for disposal of Gutter/Septic tank waste along with an undertaking on payment of final duty, if any post receipt of MINT report. Unit will be required to pay provisional duty on the declared content.

b) On payment of provisional duty, on the request of unit, on the designated date/day, empty vehicle after receipt of tare weight will be allowed for loading purpose. Subsequently, 03 representative samples in dry form from the subject septic tank waste will be drawn as per procedure for onward submission to MINT for assaying and for ascertaining the ratio to determine dry weight of waste.

c) The Entire process will be carried out under Customs supervision, in presence of unit's representative, vendor empanelled and the caretaker will carry out its videography. The vehicle loaded with wet sludge will be taken to weigh bridge under preventive escort and caretaker for weighment. After weighment, the loaded vehicle will be released.

d) On receipt of MINT report, final duty will be calculated as per procedure and Unit will be asked to pay differential duty, if any. The differential duty will be paid within 3 working days from the date of communication.

4. E- Waste items and Batteries: - *Recently, E-waste is being cleared as per Public Notice No. 30/2016 dated 09.06.2016. The process as envisaged in above Public Notice for clearance of E Waste will be adopted for clearance of both Batteries and E- Waste henceforth.*

5. Other Hazardous waste: Such items are being cleared as per the provisions of Rule 39 of SEZ Rules, 2006.

a) Unit will submit a letter to Specified Officer along with the details / documents of empanelled vendor approved by Seepz/MPCB/State Pollution Control board for disposal of hazardous waste along with an undertaking on payment of applicable duty, if applicable..

b) Unit will submit the list and photographs of such waste collected for destruction purpose. They will pay back any export benefits, if any, taken on these materials. The application of the unit will be processed and duty, if applicable, will be paid accordingly. In case, the destruction/disposal will be done by way of land filling etc. where no recoverable/reusable contents will be obtained by such disposal, the same will be allowed without payment of duty subject to fulfillment of provisions of Rule 39 of SEZ Rules, 2006.

c) The unit will intimate the date and time for inspection of these waste and after inspection Sr.AO & AO the same will be loaded on the designate vehicle of empanelled vendor. The loading process will be supervised by Authorized officer and caretaker who will carry out its videography. Post loading the vehicle will be punch sealed for onward movement in DTA and disposal of the subject Haz. waste will be done under supervision of Authorised Officer on MOT basis.

d) The waste is meant for destruction purpose after completion of customs process. The unit and the empanelled vendor will ensure smooth movement of the vehicle till their destination and further process of destruction. Against the destruction of Haz waste, the unit will submit a utilization certificate from the dismantler / recycler within 90 days from the date of removal of goods in DTA.

6. Removal of Capital Goods:- For removal of capital goods, separate procedure will be notified, since the matter is presently under consideration of Ministry of Commence.

7. Mandatory compliance:-

1) It is the responsibility of the unit to declare the weight / description as per Rule 75 of the SEZ Rule 2006, Segregation of the scrap items must be placed in the demarcated area, only inspected items should be loaded, Unit should provide a vehicle to the AO & caretaker to enable them to escort and carryout the weighment of loaded vehicle.
2) Unit should select the vendor empanelled by Seepz authorities only. The Estate section of Seepz from time to time will empanel the vendor and issue a list of vendors which will be displayed on the website of Seepz-Sez authority. Unit will issue gate pass to the selected vendor and will ensure that the gate pass is surrendered to the security staff at the exit gates. Entry in the Seepz Service centre will be restricted for such authorized vendors designated by the unit and they will communicate with the concerned authorities only and not with any other staff. Deviation will be viewed serious and unit will be penalized @ Rs.10,000/- for first instance, Rs.*15000/- for second instance and Rs.20000/- for the third instance. Later on the SEEPZ authority will have the discretion to any other action against the defaulter.*
3) The designated representative of the unit and the selected empanelled vendor will be present during the entire process of inspection, weighing and loading of the vehicle.
4) The goods which can be quantified within the unit's premises will be weighed in the supervision of the AO/Sr.AO. The remaining scrap items which could not be weighed due to the weight limits or odd/large dimensions will be weighed in DTA under preventive escort and caretaker.
5) Videography of the entire loading process will be carried out by the Seepz Caretaker nominated by Estate Manager and loading will be done under general supervision of the Concerned AO.
6) Loading will be allowed upto 5.00 pm and movement of vehicles upto 6.00 pm from gate no.2 only on all working days. However, for exceptional circumstances and deviations, approval of specified officer will be required.
7) The goods for weighment or final clearance will be allowed under gate pass issued by the Specified Officer, AO & SR.AO and endorsed by the authorized representative of the unit, empanelled vendor and caretaker supervising the loading process.
8) Unit will have to pay the differential duty within three working days from the date of intimation.
9) The scrap / packing materials etc attracts IGST/Customs duty and hence it will be the responsibility of the unit to ensure that it should not be disposed off in the general waste bin (kundi). Unit will be responsible for all acts of omission & commission.

10) The process of removal of scrap / dust / e-waste etc will be completed within three working days from the date of payment of provisional duty unless any clarifications thereof are required to be complied with.

11) Any deviation on the above will be viewed seriously against the unit in terms of BLUT Executed and the concerned officia s.

This is issued with the approval of Development Commissioner, Seepz-SEZ.

5/12/18
(ASHISH MISHRA)
Specified Officer

Copy to:

1. The Jt. Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Mumbai.
2. The Dy. Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Mumbai.
3. All Sr Authorised Officers, Authorised Cfficers, SEEPZ-SEZ, Mumbai.
4. All Assistant Development Commissioners, SEEPZ-SEZ, Mumbai.
5. Estate Section, SEEPZ-SEZ, Mumbai.
6. All SEEPZ-SEZ units through e-mail.
7. IT Section-for uploading on website.